झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2013 के वर्ग नवम् (सत्र 2011-13) के लिए पंजीकृत होने वाले छात्र/छात्राओं के पंजीयन के संबंध में आवश्यक सूचना।

विज्ञप्ति संख्या - 85/2011

एतद् द्वारा विज्ञप्ति संख्या– 81/2011 के आलोक में सत्र 2011–13 के माध्यमिक परीक्षा, 2013 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र/छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालय प्रधानों को सूचित किया जाता है कि वर्ग नवम् में पंजीकृत होने वाले छात्र/छात्राओं के भरे हुए पंजीयन आवेदन प्रपत्र परिषद् कार्यालय में प्राप्त करने की तिथि निम्न रूप से निर्धारित की जाती है:–

पंजीयन आवेदन-प्रपत्र जमा करने का कार्यक्रम

प्रमण्डल का नाम	भरे हुए पंजीयन आवेदन प्रपत्र विद्यालय में जमा करने की तिथि		भरे हुए पंजीयन आवेदन प्रपत्र परिषद् में जमा करने की तिथि (संध्या 5:00 बजे तक)	
	बिना विलम्ब शुल्क के	विलम्ब शुल्क के साथ	बिना विलम्ब शुल्क के साथ	विलम्ब शुल्क के साथ
संथाल परगना प्रमण्डल	12.10.2011 तक	14.10.11 से 19.10.11 तक	14.10.2011	20.10.2011
पलामू प्रमण्डल	12.10.2011 तक	14.10.11 से 19.10.11 तक	14.10.2011	20.10.2011
दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल	12.10.2011 तक	14.10.11 से 19.10.11 तक	14.10.2011	20.10.2011
सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल	12.10.2011 तक	14.10.11 से 19.10.11 तक	14.10.2011	20.10.2011
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल	13.10.2011 तक	17.10.11 से 20.10.11 तक	15.10.2011	21.10.2011

※ संथाल परगना प्रमण्डल के भरे हुए पंजीयन आवेदन प्रपत्र परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका तथा पलामू प्रमण्डल के भरे हुए पंजीयन आवेदन प्रपत्र परिषद् के प्रमण्डलीय कार्यालय, बैरिया, मेदिनीनगर में जमा होगा।

शुल्क की राशि

निम्नलिखित कोटियों के विद्यालयों के छात्र/छात्राओं के लिए निम्न पंजीयन शुल्क निर्धारित किया जाता है।
1. राजकीय/राजकीयकृत उच्च विद्यालय। 2. सरकार द्वारा स्थापित 1981–82 चरण के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय। 3. सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय। 4. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1984–85 के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय। 5. सरकार द्वारा उत्क्रमित उच्च विद्यालय। 6. कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय। 7. स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त उच्च विद्यालय। 8. अनुदानित स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय।

(क) उपर्युक्त क्रमांक 1 से 6 तक के उच्च विद्यालय के नियमित छात्राओं के लिए विहित पंजीयन शुल्क–
पंजीयन आवेदन प्रपत्र शुल्क – ₹50.00 प्रति आवेदन–प्रपत्र। (पंजीयन शुल्क ₹75.00 देय नहीं होगा।)

(ख) उपर्युक्त क्रमांक 1 से 6 तक के उच्च विद्यालय के नियमित छात्रों के लिए विहित पंजीयन शुल्क–
पंजीयन आवेदन प्रपत्र शुल्क – ₹50.00 प्रति आवेदन–प्रपत्र।
पंजीयन शुल्क – ₹75.00 प्रति छात्र। } ₹125.00

(ग) उपर्युक्त क्रमांक 7 एवं 8 तक के उच्च विद्यालय के नियमित छात्र/छात्राओं के लिए विहित पंजीयन शुल्क –
पंजीयन आवेदन प्रपत्र शुल्क – ₹50.00
पंजीयन शुल्क – ₹75.00 } ₹125.00

(घ) स्थापना अनुमति प्राप्त ऐसे उच्च विद्यालयों जिन्हें अद्यतन अनुदान नहीं मिला है , के नियमित छात्र/छात्राओं के लिए विहित शुल्क –पंजीयन आवेदन प्रपत्र शुल्क– ₹50.00
पंजीयन शुल्क – ₹75.00
अनुमति शुल्क – ₹400.00 } ₹525.00

पूर्णत: स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के लिए
पंजीयन आवेदन प्रपत्र शुल्क– ₹50.00
पंजीयन शुल्क – ₹400.00
अनुमति शुल्क – ₹400.00 } ₹850.00

(ड.) पंजीयन विलम्ब शुल्क : ₹200.00 (एक मुश्त दस दिनों तक)।

(च) क्रमांक 07 के विद्यालय प्रधानों को स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्ति का पत्र तथा क्रमांक 08 के विद्यालय प्रधानों को अनुदानित स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय का अनुदान का साक्ष्य साथ में प्रस्तुत करना होगा।

सभी विहित शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **"झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड", राँची** के नाम से देय एवं भुगतेय, परिषद् के क्षेत्रिय कार्यालय, दुमका के लिए **"झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड", दुमका** के नाम से देय एवं भुगतेय तथा पलामू प्रमण्डल के लिए **"झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड", डाल्टेनगंज** के नाम से देय एवं भुगतेय होगा।

स्वतंत्र छात्र/छात्राओं एवं विद्यालय के प्रधानों को सूचित किया जाता है कि स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के पंजीयन एवं अनुमति आवेदन–प्रपत्रों को अग्रसारित करने के लिए निम्नांकित कोटि के उच्च विद्यालयों के विद्यालय प्रधानों को अधिकृत किया जाता है:– 1. राजकीय/राजकीयकृत विद्यालय। 2. सरकार द्वारा स्वीकृत 1981–82 चरण के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय। 3. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय। 4. अनुदानित स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय।

विद्यालय के प्रधानाचार्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि स्वतंत्र छात्र/छात्राओं की संख्या उतनी ही होगी जितनी संख्या विद्यालयों की संरचना के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित की गई है। स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के पंजीयन हेतु विस्तृत निदेश विज्ञप्ति संख्या 81/2011 में दी जा चुकी है।

राज्य सरकार अथवा परिषद् द्वारा स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, जिन्होंने निर्धारित अवधि तक प्रस्वीकृति प्राप्त नहीं की है, के प्रधानाचार्यों को सूचित किया जाता है कि उनके विद्यालय से पंजीयन नहीं किया जा सकेगा। ऐसे विद्यालय अपने छात्र–छात्राओं का पंजीयन आवेदन पत्र स्वतंत्र रूप से उपर्युक्त कोटि के विद्यालय से भर सकेंगे।

विज्ञप्ति संख्या– 81/2011 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

अध्यक्ष के आदेशानुसार,
ह./-
(यमुना गिरि)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/माध्यमिक/7648/10/SECY/462/11 Dt. 09.09.2011
D.O.P : 10.09.2011